राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस)

(कोर्ट कैम्प का स्थान ग्राम पंचायत सेड़वा)

राजस्व आवेदन सं. ०७ /2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थी मेघा पुत्र श्री आमद बनाम तहसीलदार सेड़वा

आदेश

प्रार्थी मेघा पुत्र श्री आमद **निवासी** सेड़वा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत मय दस्तावेज कर निवेदन किया है कि **पटवार हल्का गौड़ा, राजस्व गांव गौड़ा के खाता संख्या 391 के खसरा संख्या 36 रकबा 8.2070 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम जमाबन्दी सवत् 2075–78,** में उनका नाम मेघा पुत्र श्री भामद राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है, जबकि उनका शुद्व नाम मेघा पुत्र श्री भामद के स्थान पर मेधा पुत्र श्री आमद है, इस तरह उनका नाम मेघा पुत्र श्री भामद के स्थान पर मेधा पुत्र श्री आमद दुरूस्त किया जावे।

अतः तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक ~~02.01.2025~~ 23/12/2025 की अनुशंसा के आधार पर **प्रार्थी** मेघा पुत्र श्री आमद का **पटवार हल्का गौड़ा, राजस्व गांव गौड़ा के खाता संख्या 391 के खसरा संख्या 36 रकबा 8.2070 हैक्टेयर, किस्म बारानी दोयम जमाबन्दी सवत् 2075–78,** प्रार्थी का नाम मेघा पुत्र श्री भामद के स्थान पर मेधा पुत्र श्री आमद है तथा इस तरह उनका नाम मेघा पुत्र श्री भामद के स्थान पर मेधा पुत्र श्री आमद है, शुद्व करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर आगामी 15 दिनों में पालना इस न्यायालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा
दिनांक : 09/01/2026

क्रमांकः– 23-25

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद की पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी मेघा पुत्र श्री आमद, निवासी गौड़ा, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:38:48 IST
Reason: SelfAttested